

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली



नं०:- 25/2019

तारीखरजु:- 27/5/19

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- भगवान सहाय बनाम जगराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
6-19	<p>प्रार्थी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 03.06.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
3.6.19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील श्री सुरेश चन्द शर्मा ने क्कालतनामा पेश किया। अंतर्गत अस्थाई निवेदाज्ञाप वकील आप पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कि ग्राम खिरखिरी की शूमि खं.नं. 750 रकबा 0.23 हे० में सायल हिस्से की शूमि पर अर्बिष करजा नहीं कले, निमणि नहीं कले हेतु गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे। वकील गैरसायलान ने क्कधन किया कि वादी जितने हिस्से की शूमि का खोतेदा है उसी हिस्से के अत्माणा पाबन्द क्करी किया जासकता है। वकील आप पक्ष की बहस सुनकर जमाबन्दी संवत् 2072-2075 का अवलोकन किया जमाबन्दी में दर्ज हिस्से की शूमि के सायलान के क्कजे काशत में मजामहन मदारबस्त नहीं कले, क्कजा कले नाकाबिल काशत क्काने के लिए गैरसायलान को अंतर्गत अस्थाई निवेदाज्ञाप से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी वकील जबब पेश करे। पत्रावली दिनांक 2.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>

1787
27/5/19

दिनांक	वकूलाय उप/अप्राधी की ओरसे वकालतनामा पेश करे दिनांक
2.7.19	वकूलाय उप/अप्राधी की ओरसे वकालतनामा पेश करे दिनांक 29.7.19 को पेश हो।
29.7.19	अप्राधी की ओरसे श्री दिनेश कुमार शर्मा ने नया वकालतनामा प्रस्तुत करके पेश कर दिया की जबकि पेश करने दि 26.8.19 को पेश हो।
26.8.19	वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 20.9.19 को पेश हो।
20.9.19	वकूलाय उप/अप्राधी की ओरसे वकालतनामा पेश किया/शामिल किया/जबकि पेश करे 17.10.19 को पेश हो।
17.10.19	वकूलाय उप/अप्राधी की ओरसे वकालतनामा पेश करे दिनांक 22.11.19 को पेश हो।
22.11.19	वकील अभय पक्ष उपस्थित। अप्राधी उपस्थित। अप्राधी जगराम ने कथन किया कि पक्षकारन के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा पेश करे दिनांक 27.11.19 को पेश हो।
27.11.19	वकील अभय पक्ष उप/अप्राधी राजीनामा पेश करे एक मोका चला समय दिया गया। राजीनामा पेश करे दिनांक 6.12.19 को पेश हो।
6.12.19	वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कोर्ट पेशी पर जपूर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक को पेश हो।

जगराम


यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

6.12.18 उक्त: वकील अभयसने वादी व प्रतिवादी को उपस्थित कराकर राजीनामा के कारण दावा विद्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मूल दावा वकील पत्रावली में शामिल की पीठसीन हाथिकारी महो. कोर्ट पेशी पर जपपुर पट्टोरी कोस्त हागिभ हादेश दिनांक 9.12.18 को पेश हो।

नगवानसहा
जगराम

9.12.18 वकील अभयसने उपरो. मूल दावा Not Press में खारिज हो चुका है अब इस प्रकार में कोई दावा (वादी) अपेक्षित नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली क्रमसुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

